न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 54/2019

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. भीमा कंवर किरण शर्मा पत्नि स्व0 विनोद कुमार 2. अभिषेक बोहरा पुत्र स्व0 विनोद कुमार 3. यशवन्त बोहरा पुत्र स्व0 विनोद कुमार, नाबालिग कुदरती वलीया माता भीमा कंवर किरण शर्मा पत्नि स्व0 विनोद कुमार जातियान ब्राह्मण निवासीगण 132, हरीहरण बाजार, पौन्नेरी, जिला तिरूवल्लूर, तमिलनाडु, हाल निवासी– गांव भैसाना तहसील सोजत जिला–पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. **श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।**
2. **श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।**

–: निर्णय :– दिनांक 5/6/2022

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा भैसाना, तहसील सोजत में वादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 498 रकबा 2.5500 हैक्टर की स्थित है, वादीगण संख्या 1 का नाम उक्त वादस्थ कृषि भूमि खसरा के रिकॉर्ड में चम्पालाल व विष्णु उर्फ विनोद कुमार का फौतेदगी नामान्तकरण जो दिनांक 05.05. 2015 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तकरण में वादीगण संख्या 1 का नाम किरण बाई पत्नि विष्णु दर्ज हो रखा है जो कि वादीगण संख्या 1 व उसके पति का घरेलु नाम है, जबकि दस्तावेजात में वादीगण संख्या 1 का नाम किरण बाई न होकर भीमाकंवर किरण शर्मा व उसके पति का नाम विष्णु न होकर विनोद कुमार है ।वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता का नाम दस्तावेजानुसार विष्णु न होकर विनोद कुमार है। वादीगण संख्या 1 ने अपना नाम भीमाकंवर किरण शर्मा किये जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में विधि अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर वादीया के आवेदन को स्वीकार किया जाकर दिनांक 23.07.2014 को तमिलनाडु गवरमेन्ट राजपत्र में क्रम संख्या 32066 पर जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 23.07.2014 को वादीगण संख्या 1 का नाम भीमाकंवर किरण शर्मा के नाम से किये जाने हेतु तमिलनाडु गवरनमेंट राजपत्र जारी हो रखा है। उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेज की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न पेश है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण संख्या 01 व उसके पति का नाम व वादीगण संख्या 02 व 03 के पिता का नाम गलत दर्ज होने से वादीगण को सरकारी योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने, किसान कार्ड बनाने व अन्य प्रकार से उपयोग उपभोग, हस्तान्तरण आदि करने में भारी परेशानी व कठिनाई असुविधा हो रही है। इस कारण उक्त राजस्व रेकर्ड में वादीगण संख्या 01 किरणबाई के स्थान पर भीमाकंवर किरण शर्मा व उसके पति का नाम विष्णु के स्थान पर विनोद कुमार व वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता का नाम विष्णु की जगह विनोद कुमार दर्ज करवाने हेतु घोषणा करवाकर

उपखण्ड अधिकारी सोजत

राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने वादीगण अधिकारी है। वादीगण ने अपने पति/पिता के मृत्यु के बाद राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 20/05/2019 को सम्पर्क किया, तब मालुम चला कि उक्त कृषि भूमि में वादीया भीमाकंवर किरण शर्मा के स्थान पर किरणबाई व उसके पति का नाम विनोद कुमार के स्थान पर विष्णु के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। तब वादीगण ने राजस्व रेकर्ड की नकले तहसील कार्यालय सोजत से दिनांक 20/05/2019 को प्राप्त की। भीमाकंवर किरण शर्मा ने दिनांक 20/05/2019 को पटवारी हल्का भैसाना से सम्पर्क किया, तब वादीया को उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम भीमाकंवर किरण शर्मा के स्थान पर किरणबाई व उसके पति का नाम विनोद कुमार के स्थान पर विष्णु व वादी संख्या 2, 3 के पिता का नाम विनोद कुमार के स्थान पर विष्णु अंकित होने की जानकारी हुई। तब वादीगण ने राजस्व रेकर्ड की नकले तहसील कार्यालय सोजत से दिनांक 20/05/2019 को प्राप्त की। इस कारण वादीगण ने घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया है, जो अन्दर म्याद पेश किया है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, राज्य सरकार के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देना आवश्यक है। चूंकि वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण पेश करना आवश्यक है। इसलिये धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ अलग से पेश है। उक्त कृषि भूमि ग्राम भैसाना में स्थित होने से श्रीमान को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या का नाम बतौर खातेदार किरणबाई पत्नि विष्णु के स्थान पर भीमा कंवर किरणशर्मा पत्नि विनोद कुमार व वादी संख्या 2, 3 के पिता के नाम विष्णु के स्थान पर विनोद कुमार नाम दर्ज करने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा पेश नही करना चाहने से जबाब दावा बन्द किया गया है। तहसीलदार सोजत से हस्तगत प्रकरण के परिपेक्ष्य में जॉच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार सोजत ने /कमांक/राजस्व/2021/कैम्प/843 दिनांकः– 24/11/2021 के जरिये जॉच रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 54/2019 अनवान भीमाकंवर बनाम सरकार में प्राप्त रिपोर्टानुसार नामा0 संख्या 747 द्वारा चम्पालाल फौत होने से उनके वारिशान में विष्णु(पुत्र) जो फौत हो चुके है के वारिशान का नाम आया जिनमें किरणबाई(पत्नि) अभिषेक बोहरा, यशवंत बोहरा पि0 विष्णु का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ। (नामा0 की प्रति संलग्न) है। प्रार्थी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड में इनका नाम भीमाकंवर किरणशर्मा इनके पति का नाम विनोद शर्मा दर्ज है। पुत्रो की वल्दियत में भी विनोद कुमार है। नामा0 747 में प्रार्थी के वारिसान द्वारा पुस्त पर वंशावली तस्दीक की हुई है।

अधिवक्ता वादी ने शहादत वादी के शपथ – पत्र मुख्य परिक्षण हेतु वादी स्वयं का तथा पारसमल के तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश कर बयान पी0डब्ल्यू 01 व पीडब्ल्यू 02 कलबद्ध करयाये गये। वादीया भीमाकंवर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये गये जिनमें ग्राम भैसाणा जमाबन्दी सम्वत 2071–74 प्रदर्श 01, आधार कार्ड मूल प्रदर्श 2 व छाया प्रति प्रदर्श 2 ए , प्रार्थीया के पुत्र यशवंत का आधार कार्ड प्रदर्श 3 व इसकी छाया प्रति 3 ए, अभिषेक का मूल आधार कार्ड प्रदर्श 4 व इसकी छाया प्रति प्रदर्श 4 ए, तमिलनाडू सरकार के गजट नोटिफिकेशन की प्रति मूल प्रदर्श 5 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 5 ए, ग्राम पंचायत भैसाणा का प्रमाण पत्र प्रदर्श –6, नामान्तरकरण संख्या 747 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –7 रेकर्ड पर लिये गये, सा0मि0 है। शहादत वादीगण पीडब्ल्यु 01 भीमाकंवर एवं सह खातेदार एवं स्वतंत्र गवाह पी0 डब्ल्यु

2 पारसमल के तस्दीक सुदा शपथ पत्रों पर बयान कलमबद्ध करवाये जाकर सा0मि0 है। अन्य शहादत पेश नही करना चाहने से शहादत वादी बन्द की गई। जिरह प्रतिवादी शून्य रही ।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 54/2019 अनवान भीमाकंवर बनाम सरकार में प्राप्त रिपोर्टानुसार नामा0 संख्या 747 द्वारा चम्पालाल फौत होने से उनके वारिशान में विष्णु(पुत्र) जो फौत हो चुके है के वारिशान का नाम आया जिनमें किरणबाई(पत्नि) अभिषेक बोहरा, यशवंत बोहरा पि0 विष्णु का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ। (नामा0 की प्रति संलग्न) है। प्रार्थी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड में इनका नाम भीमाकंवर किरणशर्मा इनके पति का नाम विनोद शर्मा दर्ज है। पुत्रो की वल्दियत में भी विनोद कुमार है। नामा0 747 में प्रार्थी के वारिसान द्वारा पुस्त पर वंशावली तस्दीक की हुई है। राजस्व रेकर्ड में वादीया का सही व वास्तविक नाम भीमांकवर किरणशर्मा व इनके पति का नाम विनोद शर्मा दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी व तहसीलदार सोजत पर गौरकर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेशी साक्ष्य प्रदर्श 01 से प्रदर्श 07 प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से वादीया का नाम भीमाकंवर किरणशर्मा पत्नी विनोद कुमार होना तथा वादी संख्या 2 व 3 के पिता का नाम विष्णु के स्थान पर विनोद कुमार होने की पुष्टि होने से तदानुसार घोषित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा भैसाना, तहसील सोजत में वादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 498 रकबा 2.5500 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 01 का नाम तथा वादी संख्या 2, 3 के पिता के नाम के सदभाविक/मानवीय चूंक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम किरणबाई तथा विष्णु के स्थान पर भीमाकंवर किरण शर्मा पत्नि विनोद कुमार तथा अभिषेक व यशवन्त पिता विनोदकुमार खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15/06/2... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 54/2019

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. भीमा कंवर किरण शर्मा पत्नि स्व0 विनोद कुमार 2. अभिषेक बोहरा पुत्र स्व0 विनोद कुमार 3. यशवन्त बोहरा पुत्र स्व0 विनोद कुमार, नाबालिग कुदरती वलीया माता भीमा कंवर किरण शर्मा पत्नि स्व0 विनोद कुमार जातियान ब्राह्मण निवासीगण 132, हरीहरण बाजार, पौन्नेरी, जिला तिरूवल्लूर, तमिलनाडु, हाल निवासी– गांव भैसाना तहसील सोजत जिला–पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री विनोद वैष्णव व तहसीलदार सोजत प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भैसाना, तहसील सोजत में वादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 498 रकबा 2.5500 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी संख्या 01 का नाम तथा वादी संख्या 2, 3 के पिता के नाम के सदभाविक/मानवीय चूॅक/भूलवश गलत रूप से दर्ज नाम किरणबाई तथा विष्णु के स्थान पर भीमाकंवर किरण शर्मा पत्नि विनोद कुमार तथा अभिषेक व यशवन्त पिता विनोदकुमार खातेदार दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15/06/2 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.